न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी तारा चन्द मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 18/2020(रसद)
पंजीयन दिनांक 14.08.2020
G.C.M.S. NO. :-2020/00304

राज्य सरकार जरिए थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, चित्तौड़गढ़

-प्रार्थी

बनाम

1-श्री लाल सिंह पिता डालचन्द जाट निवासी ओछडी, थाना सदर, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़
2-श्री नारायण लाल पिता डालचन्द प्रजापत निवासी पुठोली, थाना चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

-विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6-ए व सपठित पेट्रोलियम उत्पाद आदेश, 2005 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत

उपस्थितिः- 1-प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 27.07.2021

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 30.06.2020 को अमित सिंह पुलिस उप अधीक्षक, वृत्त चित्तौड़गढ़ को ओछडी टोल नाके से आगे सड़क के पश्चिम में लालसिंह जाट निवासी ओछडी की भैरूनाथ हाईवे होटल पर अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध कारोबार किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पहुंचकर पाया कि दो व्यक्ति पुलिस जाप्ते को देखकर भाग रहे थे जिन्हें जाप्ते की मदद से पकड़ कर नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम लाल सिंह पिता डालचन्द जाट निवासी ओछडी तथा दूसरे ने अपना नाम नारायण लाल पिता डालचन्द प्रजापत निवासी पुठोली होना बताया। मौके पर एक मारुति वेन RJ 06 UA 4655 के अन्दर लोहे के ड्रम जिसमें 135 लीटर डीजल व एक प्लास्टिक का ड्रम जिसमें 175 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया। साथ ही मौके पर उपकरण प्लास्टिक की एक नली, प्लास्टिक का एक किमा, लोहे का 5 लीटर का नाप व एक लोहे का ड्रम खोलने का पाना मिला व अवैध रूप से बेचे गये डीजल की राशि 14350 रूपये नकद मिले। मौके पर उपस्थित लाल सिंह जाट व नारायण लाल प्रजापत से पेट्रोलियम पदार्थ के वैध दस्तावेज के संबंध में पूछने पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

उन्होंनें उनके पास कोई दस्तावेज नहीं होना बताया। उपरोक्त पेट्रोलियम पदार्थ व उपकरण मय मारूति वेन RJ 06 UA 4655 को वजह सबूत जब्त कर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अनुसंधान शुरू किया तथा विपक्षीगण के विरूद्ध जुर्म धारा 3/7 ई. सी. एक्ट व 379 भा. द. सं. का अपराध पाया जाने से जब्त शुदा सामग्री दो ड्रमों में 310 लीटर डीजल, प्लास्टिक की नली, एक प्लास्टिक का किमा व एक लोहे का 5 लीटर का नाप, ड्रम खोलने का पाना व अवैध रूप से बेचे गए डीजल की राशि 14350 रूपये नकद व मारूति वेन RJ 06 UA 4655 के निस्तारण हेतु धारा 6 ए के तहत यह आवेदन पेश किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अतः बहस प्रकरण पैरोकार सरकार सुनी गई।

प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़, पैरोकार सरकार ने कथन किया कि विपक्षीगण द्वारा इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टैंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल चोरी से निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोल-डीजल भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोल-डीजल की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा डीजल-पेट्रोल व अन्य उपकरणों को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में जब्तशुदा मारूति वेन RJ 06 UA 4655 का स्वामित्व प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर श्री उदयराम पिता श्री डालचन्द कुम्हार निवासी नई बस्ती, भील बस्ती मौहल्ला, सेमलपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ का प्रमाणित पाया जाने से इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 89/2021 (रै.वि.) में दिनांक 13.07.2021 को पारित निर्णयानुसार उसके वैध स्वामी को 3.00 लाख (अक्षरे तीन लाख रूपये) रूपये के जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर रिलीज करने के आदेश दिये गए हैं।

मौके पर भैरूनाथ हाईवे होटल के बाहर खडी मारूति वेन के अन्दर दो ड्रमों में कुल 310 लीटर डीजल तथा डीजल को निकालने के लिए प्लास्टिक की एक नली, प्लास्टिक का किमा, लोहे का 5 लीटर का नाप, व लोहे का ड्रम खोलने का पाना आदि सामग्री पाए गए तथा मौके पर उपस्थित विपक्षीगण से पूछताछ करने पर उन्होने उनके पास पेट्रोलियम पदार्थ रखने के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं होना स्वीकार किया।

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ़

कार्यालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के मध्यनजर विपक्षीगण द्वारा इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टैंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल चोरी से निकाल कर खरीद फरोख्त का धन्धा करना तथा पेट्रोल-डीजल भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 310 लीटर डीजल मय अन्य उपकरण व सामग्री राजसात किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए दिनांक 30.06.2020 को जब्तशुदा कुल 310 लीटर डीजल/पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम, अवैध रूप से बेचे गए डीजल की राशि 14350 रूपये नकद, प्लास्टिक की नली, प्लास्टिक का किमा, लोहे का 5 लीटर का नाप, लोहे का ड्रम खोलने का पाना आदि सामग्री को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा कुल 310 लीटर डीजल/पेट्रोलियम पदार्थ मय अन्य उपकरणों/सामग्री आदि को थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)